

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 515] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 1972/अग्रहायण 20, 1894

No. 515] NE . DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 1972/AGRAHAYANA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December 1972

S.O. 743(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (b) of Clause 2 of the Newsprint Control Order, 1962, No. CH(1)-18(1)/62 dated the 17th January, 1962, the Government of India is hereby pleased to appoint Shri M. V. Subrahmanyam, Deputy Press Registrar, Office of the Registrar of News papers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, to exercise the powers of the Controller under that order, with immediate effect.

2. The earlier Notification No. S.O. 3530, dated the 21st October, 1970 relating to the appointment of Shri A. Datta Majumdar, Deputy Press Registrar for exercising the powers of Controller under the said Newsprint Order, 1962, is hereby cancelled.

[No. 11/46/72-I&EC.]

A. S. GILL, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 दिसम्बर 1972

एस० आ० 743 (अ).—अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 सं० सी० एच० (1)–18(1)/62 दिनांक 17 जनवरी 1962 की धारा 2 की उपधारा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उप-प्रेस-रजिस्ट्रार श्री एम० बी० सुब्रह्मण्यम को तत्काल प्रभाव से उस आदेश के अन्तर्गत नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करती है ।

2. उक्त अखबारी कागज आदेश, 1962 के अन्तर्गत नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए श्री ए० दत्त मजूमदार, उप-प्रेस-रजिस्ट्रार की नियुक्ति से संबंधित पहले वाली अधिसूचना सं० का० आ० 3530, दिनांक 21 अक्टूबर, 1970 को एतद्वारा रद्द किया जाता है ।

[सं० 11/46/72—आई० एण्ड ई० सी०]

ए० एस० गिल, संबुद्ध सचिव ।